पत्रांक – 6 (iv)/2026

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बस्ती में सहायक लेखाकार के पद पर सेवानिवृत्त कर्मी की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

तृतीय श्रेणी/समूह–ग के सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को सूचित किया जाता है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बस्ती में सहायक लेखाकार का पद रिक्त है, जिस पर सेवानिवृत्त कार्मिक को संविदा के आधार पर इस शर्त पर रखा जाना है कि ऐसे कार्मिक को संविदा के रूप में मिलने वाली राशि नियमानुसार संबंधित कार्मिक के अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होगी। नियुक्ति में ऐसे सेवानिवृत्त कर्मी को वरीयता दी जायेगी, जो न्यायालय के कार्य से भिज्ञ हों तथा लेखा कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकते हों। अतः सभी इच्छुक अभ्यर्थी अधिकरण के कार्यालय से कनिष्ठ सहायक से आवेदन पत्र प्राप्त करके **दिनांक 27–07–2026 तक समय अपरान्ह 4–00बजे** तक अधिकरण में जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन एक समिति के द्वारा किया जायेगा, साक्षात्कार की सूचना उनको पृथक से दूरभाष या ई–मेल के माध्यम से दी जायेगी।

दिनांक 17–07–2026

17.7.26

पीठासीन अधिकारी,
न्यायालय मोटर दुर्घना दावा अधिकरण
बस्ती।

प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु अनुरोध सहित–

1–श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय, बस्ती।
2–श्रीमान जिलाधिकारी,बस्ती।
3–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) बस्ती को सभी सरकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु एवं विज्ञप्ति जारी करने हेतु ।
4–नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जिला न्यायालय बस्ती को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारित वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5–सहायक सूचना निदेशक बस्ती मण्डल बस्ती को आशय से कि वे जिले में ख्याति प्राप्त दो समाचार पत्रों में दिनांक 21–07–2026 तक न्यूनतम राजकीय दर पर विज्ञापन कराते हुए नियमानुसार विज्ञापन का बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पीठासीन अधिकारी,
न्यायालय मोटर दुर्घना दावा अधिकरण
बस्ती।

17.7.26

कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बस्ती

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–15385/2022/एडमिन–जी–1/इलाहाबाद दिनांकित 30–11–2022, पत्रांक– 15907 /2022/एडमिन–जी–1 सेक्शन/ इलाहाबाद दिनांकित 12 दिसम्बर 2022 एवं परिपत्र सं0 14/एडमिन–डी–सेक्शन दिनांकित 15–10–2022 के प्रकाश में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बस्ती में विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त जिला न्यायालय कर्मियों की पुर्ननियुक्ति की जानी है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बस्ती में वर्तमान में पुर्ननियुक्त सेवानिवृत्त पेशकार अपना कार्यकाल पूरा कर दिनांक 31–07–2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिससे प्रस्तुतकर्ता/सहायक लेखाकार के पद पर जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी की पुर्ननियुक्ति की जानी है, जिसने जनपद न्यायालय में कार्य किया हो तथा जिसे सिविल न्यायालय में कार्य करने व लेखा संबंधी कार्य का अनुभव हो, पूर्व में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रस्तुतकर्ता के पद पर कार्य कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी प्राथमिकता दी जायेगी।

उक्त परिपत्रों के अन्तर्गत उक्त पद पर पुर्ननियुक्ति हेतु जिला न्यायालय कर्मियों से सेवानिवृत्त सक्षम एवं सभी अर्हताएं रखने वाले कर्मियों से निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1–पुर्ननियुक्ति के दिनांक को सेवानिवृत्त कर्मी की आयु 65 वर्ष से अनधिक होनी चाहिए।

2–यह पुर्ननियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से 06 माह से 01 वर्ष के लिए अथवा पदोन्नति या सीधी भर्ती से उक्त उपलब्ध रिक्तियों के भरे जाने तक अथवा पुर्ननियुक्ति सेवानिवृत्त कर्मी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, जो पहले हो, तक के लिए की जायेगी।

3–माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुर्ननियुक्त कर्मी को परिलब्धियों के रूप में अंतिम आहरित वेतन से पेंशन की धनराशि घटाकर शेष प्रदान की जायेगी। अतएव आवेदक सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ पेंशन प्राधिकार पत्र/पी0पी0ओ0 की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।

4– यह पुर्ननियुक्ति सेवानिवृत्त कर्मी के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेख एवं चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर की जायेगी। अतएव जिला न्यायालयों से सेवानिवृत्त आवेदक/सेवानिवत्त कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ पूर्ववर्ती 05 वर्षों में चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।

5–इस पुर्ननियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदनपत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथपत्र कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लंबित नहीं है ओर न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित अथवा दोषमुक्त किया गया है, संलग्न करेंगे।

6– इस पुर्ननियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक.29.07.2026 के सायंकाल 4.00 बजे तक कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बस्ती को प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित दिनांक व समय के उपरांत कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7– इस पुर्ननियुक्ति की प्रकिया अथवा पुर्ननियुक्ति पर अंतिम निर्णय का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी/पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बस्ती को होगा।

इस विज्ञप्ति को सूचनार्थ जिला न्यायालय बस्ती के सूचना पट्ट तथा मो0दु0दावा अधिकरण के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाये।

पीठासीन अधिकारी,
नियुक्ति प्राधिकारी/मोटर दुर्घना दावा अधिकरण
बस्ती।

MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL
BASTI

प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने के अनुरोध सहित–

1–नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जजशिप बस्ती को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिका वेव साइट पर अपलोड करने हेतु।

2–सहायक सूचना निदेशक बस्ती मण्डल बस्ती को आशय से कि वे जिले में ख्याति प्राप्त दो समाचार पत्रों में दिनांक 22–07–2026 तक विज्ञापन कराने का कष्ट करें।